भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 205

उत्तर देने की तारीख- 03/02/2025

विद्या-लक्ष्मी योजना के अंतर्गत निधियों का आबंटन और उपयोग

†205. श्री राजेश वर्मा:
श्रीमती शांभवी:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:
डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से प्रधानमंत्री विद्या-लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आवंटित और संवितरित कुल निधियों का ब्यौरा क्या है और उच्च शिक्षा की सुलभता में सुधार लाने में इसका क्या योगदान है;

(ख) वर्ष 2019 से विद्या - लक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से प्रदान किए गए शिक्षा ऋण से लाभान्वित लाभार्थियों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है कि ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्र उक्त योजना से लाभान्वित हों और निधियों का उपयोग केवल योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रयोजनों के लिए ही किया जाए; और

(घ) क्या सरकार और अधिक बैंकों को शामिल करने अथवा इस पोर्टल पर प्रयोक्ता के अनुभव में वृद्धि करने के लिए विद्या-लक्ष्मी योजना का विस्तार करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): पीएम विद्यालक्ष्मी नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना दिनांक 6 नवंबर 2024 को शुरू की गई। वर्ष 2024-25 से वर्ष 2030-2031 तक इस योजना का कुल परिव्यय 3600 करोड़ रुपये है। इस योजना के तहत, उच्च गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में मेरिट आधार पर प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों को बिना जमानत और गारंटर के शिक्षा ऋण प्रदान

किया जाता है, जिससे क्यूएचईआई में प्रवेश प्राप्त करने वाले और पीएम-विद्यालक्ष्मी से लाभ लेने के इच्छुक सभी पात्र और मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा सुलभ हो सकेगी।

जागरूकता बढ़ाने के लिए, इस योजना के दिशानिर्देश पहले ही शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/PM_Vidyalaxmi_Scheme_Guidelines.pdf पर उपलब्ध करा दिए गए हैं।

भारतीय बैंक संघ से सभी सदस्य बैंकों को दिशा-निर्देश परिचालित करने का अनुरोध किया गया है। उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, एक समर्पित ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिस पर छात्र सभी बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण के साथ-साथ ब्याज छूट के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह पोर्टल सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के लिए है। इन सभी उपायों का उद्देश्य योजना संबंधी व्यापक जागरूकता पैदा करना और ग्रामीण एवं वंचित क्षेत्रों के पात्र विद्यार्थियों को पीएम-विद्यालक्ष्मी के लाभ प्राप्त करने में सहायता करना है।

इसके अतिरिक्त, यह योजना 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज छूट प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के लिए निर्धारित निधियों का उपयोग केवल योजना के निर्धारित उद्देश्यों हेतु किया जाए, एक लाख तक नए छात्रों जो किसी अन्य छात्रवृत्ति या शिक्षा ऋण पर ब्याज छूट नहीं प्राप्त कर रहे हैं, को यह ब्याज छूट प्राप्त होगी। इस ब्याज सब्सिडी की अवधि अधिस्थगन अवधि अर्थात, पाठ्यक्रम अवधि के साथ एक वर्ष तक होगी।

*****